

# B. R. L. Finance & Accounts Deptt.

बि० आर० एल० वित्त एवं लेखा विभाग

BHARAT REFRACTORIES PROVIDENT FUND TRUST

भारत रिफ्रेक्टरीज प्रविण्ड फंड ट्रस्ट

APPLICATION FOR WITHDRAWAL FROM P. F. ACCOUNT FOR

भविष्य निधि से रुपया निकासी सम्बन्धी आवेदन पत्र

- (a) Marriage (क) विवाह (b) Other Religious Ceremony (ख) धार्मिक क्रम (c) Medical Expenses (ग) चिकित्सा व्यय (d) Passage (घ) राह खर्च  
(e) House Building/Purchase of site, (च) गृह निर्माण/असली खरीदने (f) L. I. C. Premium (ज) जीवन बीमा किस्त (g) Legal Proceedings (झ) विधिक कार्रवाही के लिये

1. Name नाम	Department & विभाग एवं Deptt. Code No. कोड नं०	Staff No. कर्मचारी संख्या
2. Designation : पदनाम	Last basic pay अन्तिम मूल वेतन & D. A. तथा महंगाई भत्ता	
3. Loan required : Rs. आपन्नित ऋण की राशी : रु०	Recovery ( No. of वसूली (मासिक monthly instalments) किस्त की संख्या )	
4. Purpose : प्रयोजन	For self / family members, अपने लिए/अगर परिवार के सदस्यों के लिए if so, relationship तब उसके साथ संबंध	
5. Particulars of evidence produced : प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण	5A Has any loan been taken before ? if so (i) when (ii) whether fully repaid क्या कोई ऋण पहले ली गई है ? अगर हां तो (i) कब (ii) क्या पूरी चुकती हुई	

6. Certified that the above statements are true and correct :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यापार सत्य है

सदस्य का हस्ताक्षर/बाएँ अंगूठा का निशान  
अगर सदस्य निरक्षर हो तो एक साक्ष्य का हस्ताक्षर

Signature/Left Thumb impression  
of the member with a witness in case  
of illiterate Member,

Note I— Pay Slip of the applicant must be enclosed with the application

7. Recommendation of the Departmental Head :  
विभागीय प्रधान की अनुमति

Signature with official seal  
हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुहर

( For use in P. F. section ) ( भविष्य निधि अनुभाग के व्यवहार के लिए )

8. a) Is the applicant eligible for loan ?  
क्या आवेदक ऋण लेने का पात्र है ?  
b) Has he taken loan previously? If so,  
क्या इसके पहले भी उन्होंने ऋण लिया ? अगर हां  
when recovery was completed ?  
ता ऋण वसूली कब पूरी हुई ?  
Member's subscription :  
सदस्य का अंशदान :  
Rs. \_\_\_\_\_ रु० \_\_\_\_\_  
c) Maximum permissible withdrawal :  
निकासी की अधिकतम अनुमति :  
Rs. \_\_\_\_\_ रु० \_\_\_\_\_

9. Sanctioned Rs. \_\_\_\_\_ ( Rupees \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ रु० [ \_\_\_\_\_ ] रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है जिसे \_\_\_\_\_ मासिक किस्तों में  
\_\_\_\_\_ recoverable in \_\_\_\_\_ monthly instalments  
वसूल किया जायगा |  
Dealing Assistant. [ सम्बन्ध सहोपाक ] लेखा कार्यपालक/पदाधिकारी  
Accounts Executive/officer

10. Order of the Trustees स्थानियों के द्वारा

11. Cheque No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_ for Rs. \_\_\_\_\_  
चक संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ रु० \_\_\_\_\_

12. Received from the Board of Trustees for Bharat Refractories Provident Fund Trust Rs  
\_\_\_\_\_ भारत रिफ्रेक्टरीज प्रविण्ड फंड ट्रस्ट से \_\_\_\_\_ रु० प्राप्त किया।

Vt. No.	.....
Date	.....
Acc. code	.....
Amount	.....
INSTLMT.	.....

Revenue
Stamp
रेवेन्यू स्टैम्प

Signature of the Member/सदस्य का हस्ताक्षर

## RULES AND CONDITIONS FOR GRANT OF WITHDRAWAL

- NOTE A.** A Second loan is permitted only after completion of existing loan.
- B.** No loan is permitted from Company's share of contributions,
- C.** Withdrawals are permitted for member and dependent members of the family. Family consists of employee's wife legitimate children, step children, parents, sisters and minor brothers.
- D.** Withdrawals for marriage is restricted to 6 times of monthly pay and D. A. Maximum instalments allowable for refund 48 ]; for house building purchase of site one half of the amount standing to employee's credit and for rest 3 months pay and D. A. [maximum instalments allowable for refund 24 ] In all case the withdrawal will not exceed the amount standing to employees own share of contribution.
- E.** For details the P. F. Section may be contacted

### निकासी की स्वीकृति से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें

- टिप्पणी :- क. पहले लिया गया ऋण पूर्णतया अदा कर देने के बाद ही दुसरी बार ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी ।
- ख. कम्पनी की ओर से दिये जाने वाले अक्षदान से ऋण नहीं दिया जायगा ।
- ग. सदस्य तथा परिवार के आश्रित सदस्यों की निकासी की अनुमति दी जायगी । परिवार में सम्मिलित है; कर्मचारी की पत्नि, वेध्य संतान, सीतेला संतान, माता-पिता बहने तथा नाबालिग भाई ।
- घ. शादी विवाह के प्रयोजन से लिये गये कर्ज का अधिकतम राशि छ महीने का मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ता होगी जो अधिक से अधिक ४८ किस्तों में लौटाई जायगी । घर बनाने तथा घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के उद्देश्य से कर्ज लेने की स्थिति में कर्मचारी द्वारा जमा की गई कुल रकम की आधी राशि तथा अन्य अवसरों के लिए तीन महीने का वेतन तथा महंगाई भत्ता दिया जायगा जिसे अधिक से अधिक २४ किस्तों में लौटाना होगा । किसी भी स्थिति में कर्मचारी द्वारा जमा की गई कुल राशि से अधिक रुपये की निकासी की अनुमति नहीं दी जायगी ।
- ड. विशेष जानकारी सविषय निधि अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है ।